न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः- 92/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. बालमुकन्द } पुत्रगण किशोरी
2. हरी सिंह }
3. रामबाबू }
4. भीमसैन } पुत्रगण निहाल सिंह
5. चन्द्रपाल }

जाति काछी निवासी बुराना, तहसील रूपवास, भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. तहसीलदार, तहसील रूपवास।

..........................रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 25.10.2012 मि.नं. 41/2012 उनवानी बालमुकन्द बनाम सरकार।

उपस्थितिः-

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक-22.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बुराना तहसील रूपवास, अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वज नवल व किशोरीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में संवत 2009 से पहले से लेकर संवत 2040 तक बतौर सा0 देह शिकमी के रूप में इन्द्राज होती चली आई है। उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट/वादीगण बतौर सा0देह शिकमी खातेदार काश्तकार रिकार्ड व मौके पर है। विवादित आराजी आज तक कभी भी खाली या पडत की स्थिति में नहीं रही है। उक्त भूमि पहले कस्टोडियन भूमि के रूप में दर्ज थी, किन्तु आज तक कभी भी कस्टोडियन की शक्ल में नहीं रही है। राजस्व कर्मियों को अपीलाण्ट/वादीगण के नाम विरासत का दाखिला खारिज खोलने को कई बार कहा किन्तु नहीं खोला। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में खातेदार

काश्तकार व काबिज आराजी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में हो रहे कस्टोडियन के इन्द्राज को कलमजन कर अपीलाण्ट/वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वज नवल व किशोरीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में संवत 2005 से गैर मौरूसी दर्ज रिकार्ड है तथा संवत 2009 से अपीलाण्ट के विवादित आराजी पर शिकमी के इन्द्राज चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई विचार नहीं करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कानूनन गलत है। विवादित आराजी का सदर कानूनगो भरतपुर ने दिनांक 18.08.1989 को मौका भी देखा गया था तथा मौके पर अपीलाण्ट्स का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना माना गया, जिसकी रिपोर्ट कलक्टर, भरतपुर को दी गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शिकमी काश्त भी टीनेन्ट की परिभाषा में आता है तथा उसकी भी विरासत चलती है, चाहे उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 द्वारा जवाव दावा पेश किया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं करते हुए, बिना तनकीयात के अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्था न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए, अपीलाण्ट/वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन दर्ज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसके अलावा कस्टोडियन भूमि बाबत् वाद, राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है, मात्र कस्टोडियन विभाग को ही श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि में संवत 2009 से अपने पूर्वज नवल व किशोरीलाल के शिकमी इन्द्राज के आधार पर विरासतन विवादित आराजी में राजस्व रिकार्ड में हो रहे मकबूजा सरकार कस्टोडियन के इन्द्राज को कलमजद कर, स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए, खातेदार दर्ज करने का दावा करते हैं। परन्तु उनके द्वारा संवत 2009 के बाद से संवत 2045 तक का कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वज अथवा उनका नाम बतौर शिकमी या अन्य किसी हैसियत से दर्ज रहा हो। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–1 जमाबन्दी संवत 2046–49 में विवादित भूमि मकबूजा सरकार कस्टोडियन दर्ज है। कस्टोडियन भूमि बाबत् वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकर इस न्यायालय को नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Administration of Evacuee. Property Act 1950 अन्तर्गत धारा 28 के अनुसार :–

'' **<u>Finality of orders under this Chapter.</u>** Save as otherwise expressly provided in this Chapter, every order made by the Custodian- General, for Custodian, Additional Custodian, authorized Deputy Custodian, deputy Custodian oa Assistant Custodian shall be final and shall not be called in question in any court by way of appeal or revision or in any original suit, application or execution proceeding ''

6. इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/वादीगण की अन्य आपत्तियॉ बाबत् हम पाते हैं कि यद्यपि प्रकरण में औपचारिक रूप से तनकी गठन नहीं किया गया हैं तथापि प्रत्येक मुद्दे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से समीक्षा की जाकर सकारण, विवेचनात्मक एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है। जहॉ तक शिकमी के इंद्राजो का प्रश्न है, विधिक प्रावधानों के अनुसार शिकमी काश्त या उपपट्टे के आधार पर, विरासतन वारिसों को खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते। तर्क के लिये यह मान भी लिया जावें कि संवत 2012 के बाद भी विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वज नवल की शिकमी काश्त दर्ज होती, तो भी नवल की मृत्यु के साथ ही या अधिकतम पॉच वर्ष की समाप्ति पर जो भी पहले हो, उसके शिकमी अधिकार समाप्त हो जातें। अतः विरासत के आधार पर अपीलाण्ट/वादीगण को खातेदारी अधिकरी प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलवा भी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिसमे अपीलाण्ट अथवा उनके पूर्वजो के विवादित आराजी पर शिकमी इन्द्राजात हों। अतः शिकमी के इन्द्राजात के अभाव में अपीलाण्ट के कथनों की पुष्टि नही होती है। एक उप अभिधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य से उप काश्त पर लिया जाना साबित करें तथा लगान देना या देने के लिए दायी होना भी आवश्यक है तथा लगान संदाय से पूर्व उप अभिधारी को उप अभिधृति की संविदा को सबित करना भी नितांत आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट द्वारा एक भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नही किया, जिसमें उसके शिकमी खातेदारी के इन्द्राजात अंकित हों, लगान जमा करना साबित होता हो एवं उप अभिधारी की संविदा साबित होती हो। अतः किसी भी व्यक्ति को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official